

थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए 1.670 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) सहित एक अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब एवं शस्त्रों के विक्रय पर अंकुश लगाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन, क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक, थाना सदर बाजार के नेतृत्व में थाना सदर बाजार पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 22.10.2026 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने, संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग तथा अवैध शराब, शस्त्र एवं मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु गश्त एवं चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति पुरानी रेलवे लाइन पर मदराखेल गुमटी की ओर जा रहा है, जिसके पास गांजा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर दिनांक 22.10.2026 को समय करीब 22:10 बजे मदराखेल गुमटी से लगभग 50 मीटर पहले अभियुक्त सौरभ मिश्रा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा, उम्र 29 वर्ष, निवासी मोहल्ला हरदयालकूँचा, थाना पुवायाँ, जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी से दाहिने हाथ में लिए सफेद थैले के अंदर काली पन्नी में रखा 1.670 किलोग्राम गांजा, पैट की दाहिनी जेब से ₹350 नकद तथा बायीं जेब से नीले रंग का की-पैड जियो भारत मोबाइल फोन बरामद हुआ। बरामद गांजे का इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन किया गया, जो 1.670 किलोग्राम पाया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त सौरभ मिश्रा के विरुद्ध थाना सदर बाजार पर मु0अ0सं0 591/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है तथा उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

सौरभ मिश्रा पुत्र राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा निवासी मो0 हरदयालकूँचा थाना पुवायाँ, शाहजहाँपुर (उम्र 29 वर्ष)

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 22.10. 2026 को समय 22.10 बजे मदराखेल गुमटी से लगभग 50 मीटर पहले।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 591/2026 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु.अ.स. 048/2016 धारा 363/366/504 बीएनएस थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. मु.अ.स. 798/2021 धारा 60 Ex. Act थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. मु.अ.स. 907/2021 धारा 60 Ex. Act थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. मु.अ.स. 952/2021 धारा 60 Ex. Act थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
5. मु.अ.स. 604/2023 धारा 60 Ex. Act थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
6. मु.अ.स. 704/2023 धारा 60 Ex. Act थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
7. मु.अ.स. 724/2023 धारा 323/352/427/506 बीएनएस थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
8. मु.अ.स. 429/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 401 बीएनएस थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
9. मु.अ.स. 601/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
10. मु.अ.स. 167/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
11. मु.अ.स. 857/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
12. मु.अ.स. 123/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
13. मु.अ.स. 236/2026 धारा 309(4)/317(2) बीएनएस थाना पुवयाँ जनपद शाहजहाँपुर
14. मु.अ.स. 237/2026 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट , धारा 109(1) बीएनएस थाना पुवयाँ शाहजहाँपुर
15. मु.अ.स. 591/2026 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर

पूछताछ विवरण:-

अभियुक्त सौरभ मिश्रा उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि वह उक्त गांजा पुवयाँ में ठेके के पास एक अज्ञात व्यक्ति से खरीदकर लाया था, जिसके नाम-पते की जानकारी उसे नहीं है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 1.670 कि०ग्रा० अवैध मादक पदार्थ (गांजा) ।
2. 01 नीले रंग का की-पैड जियो भारत का मोबाइल फोन ।
3. ₹ 350 रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ०नि० नितिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर ।
2. उ०नि० प्रियवृत्त दुहूण थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर ।
3. का० रणवीर थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर ।
4. का० सचिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर ।